IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

गरियाबंद जिले में कमार जनजाति की महिलाओं के जीवन-स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

दीपा[1] and डॉ. ए. राजशेखर[2]
[1]शोधार्थी, भूगोल-विभाग
[2]प्रोफेसर, भूगोल-विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश: कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण जनजातीय समुदाय है, जिसकी उल्लेखनीय आबादी गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर और छुरा क्षेत्रों में निवास करती है। गरियाबंद जिला प्रशासन के अनुसार परियोजना क्षेत्र में 3,350 कमार परिवार तथा लगभग 14,285 कमार जनसंख्या निवास करती है। कमार महिलाओं का पारंपरिक जीवन मुख्यतः कृषि, वनोपज संग्रह, श्रम, बाँस-आधारित हस्तशिल्प तथा घरेलू गतिविधियों पर निर्भर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत, ऋण, सामूहिक उद्यम, कौशल-विकास, बाजार से जुड़ाव तथा निर्णय-निर्माण के अवसर प्रदान करके उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं।
प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य गरियाबंद जिले की कमार जनजाति की महिलाओं के जीवन-स्तर में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन करना है। अध्ययन में आर्थिक सशक्तीकरण, आय, बचत, ऋण की उपलब्धता, रोजगार, सामाजिक भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं तक पहुँच तथा सामुदायिक नेतृत्व को प्रमुख आयाम माना गया है। उपलब्ध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं में नेतृत्व, आय और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य संकेतक: - महिला सशक्तीकरण, स्वयं सहायता समूह, जीवन-स्तर, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण आजीविका, आदिवासी महिलाएँ।

I. परिचय

भारत में जनजातीय समुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास ग्रामीण विकास की व्यापक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। जनजातीय समाज प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, वनोपज, पशुपालन, हस्तशिल्प तथा स्थानीय श्रम पर काफी हद तक निर्भर रहा है। विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों तक सीमित न होकर कृषि, वनोपज संग्रह, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प तथा पारिवारिक आय में योगदान के रूप में दिखाई देती है। इसके बावजूद उनके श्रम का आर्थिक मूल्यांकन, संसाधनों पर नियंत्रण और निर्णय-निर्माण में भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही है। गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास के लिए जिला स्तर पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तथा कमार एवं भुंजिया विकास अभिकरण जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ संचालित हैं।
कमार समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिए महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उपलब्ध शोध से पता चलता है कि गरियाबंद जिले में आदिवासी महिलाओं की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कम मजदूरी, विकासात्मक कार्यक्रमों की सीमित जानकारी, शिक्षा की कमी और निर्णय लेने की स्वतंत्रता जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं (ध्रुव, कौशल, भगत एवं अत्री, 2020)।
इसी संदर्भ में स्वयं सहायता समूह एक सामूहिक सामाजिक-आर्थिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ नियमित बचत करती हैं, आंतरिक ऋण प्राप्त करती हैं, बैंकिंग संस्थाओं से जुड़ती हैं और सामूहिक रूप से

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, July 2026 Impact Factor: 8.2

आजीविका गतिविधियों का संचालन कर सकती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवाओं तथा आजीविका के अवसरों से जोड़ने पर विशेष बल दिया है।

II. अध्ययन क्षेत्र

गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों में से एक है। जिले में कमार, भुंजिया, गोंड तथा अन्य जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। कमार समुदाय की उपस्थिति विशेष रूप से गरियाबंद, मैनपुर और छुरा विकासखंडों में उल्लेखनीय है। जिला प्रशासन के अनुसार कमार एवं भुंजिया विकास अभिकरण के अंतर्गत आदिवासी विकास की संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध है तथा परियोजना क्षेत्र में 3,350 कमार परिवार निवास करते हैं।

गरियाबंद जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, वनोपज तथा पारंपरिक हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण स्थान है। कमार समुदाय में बाँस से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के निर्माण तथा वन-आधारित आजीविका की परंपरा रही है। हाल के अध्ययन में मैनपुर तहसील के कमार समुदाय के हस्तशिल्प को सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन-स्तर से जोड़ते हुए पाया गया कि हस्तशिल्प आर्थिक अवसर प्रदान कर सकता है, किंतु बाजार, संसाधन, डिजाइन और संस्थागत सहायता की आवश्यकता बनी हुई है।

समस्या का कथन

"गरियाबंद जिले में कमार जनजाति की महिलाओं के जीवन-स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका" प्रस्तुत अध्ययन की केंद्रीय समस्या है। समस्या का मूल आधार यह है कि पारंपरिक आजीविका पर निर्भर कमार महिलाओं के सामने आय की अनिश्चितता, सीमित वित्तीय संसाधन, बाजार तक सीमित पहुँच, शिक्षा एवं कौशल संबंधी बाधाएँ तथा सामाजिक निर्णयों में सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। स्वयं सहायता समूह इन समस्याओं के समाधान में किस सीमा तक प्रभावी हैं, इसका स्थानीय स्तर पर अध्ययन आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. गरियाबंद जिले की कमार जनजाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. कमार महिलाओं के जीवन-स्तर में स्वयं सहायता समूहों के योगदान का मूल्यांकन करना।
3. स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं की आय, बचत और ऋण-सुविधा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. महिलाओं के रोजगार एवं आजीविका के अवसरों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण करना।
5. महिलाओं की घरेलू एवं सामुदायिक निर्णय-निर्माण क्षमता में आए परिवर्तन का अध्ययन करना।
6. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की सरकारी योजनाओं एवं संस्थागत सेवाओं तक पहुँच का मूल्यांकन करना।
7. समूह सदस्यता के कारण महिलाओं के सामाजिक आत्मविश्वास, नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
8. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं सीमाओं की पहचान करना।
9. कमार महिलाओं के सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

III. परिकल्पनाएँ

H_1: स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता और कमार महिलाओं की आर्थिक सशक्तता के बीच सकारात्मक संबंध है।

H_2: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आय एवं बचत स्तर में सदस्यता से पहले की तुलना में सुधार हुआ है।

H_3: स्वयं सहायता समूहों में सहभागिता से कमार महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है।

H_4: स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता महिलाओं की सामाजिक एवं सामुदायिक भागीदारी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

IV. शोध-पद्धति

प्रस्तावित अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। अध्ययन का क्षेत्र गरियाबंद जिले के चयनित कमार-बहुल गाँव होंगे। प्राथमिक आँकड़े स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कमार महिलाओं के साक्षात्कार, अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन तथा समूह-चर्चा के माध्यम से एकत्र किए जा सकते हैं। द्वितीयक आँकड़े जनगणना, जिला प्रशासन, जनजातीय विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड तथा संबंधित शोध अध्ययनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जनगणना के आधिकारिक आँकड़ों में छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक संकेतकों से संबंधित पृथक तालिकाएँ उपलब्ध हैं।

V. नमूना चयन

अध्ययन में चयनित कमार-बहुल ग्रामों से स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना अथवा उपलब्धता के अनुसार उद्देश्यपूर्ण नमूना लिया जा सकता है। नमूने को आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, समूह सदस्यता की अवधि, व्यवसाय तथा आय के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

VI. आँकड़ा-संग्रह उपकरण

प्राथमिक आँकड़ों के लिए निम्नलिखित आयामों पर आधारित संरचित साक्षात्कार अनुसूची उपयोगी होगी: -

1. व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विवरण
2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य
3. समूह सदस्यता की अवधि
4. मासिक बचत
5. ऋण की उपलब्धता एवं उपयोग
6. आय एवं रोजगार
7. व्यवसाय एवं आजीविका
8. घरेलू निर्णय-निर्माण
9. सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी
10. सरकारी योजनाओं तक पहुँच
11. डिजिटल एवं बैंकिंग सेवाओं का उपयोग
12. समूह की समस्याएँ एवं अपेक्षाएँ।

VII. स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

1. बचत एवं वित्तीय समावेशन

स्वयं सहायता समूह महिलाओं में नियमित बचत की आदत विकसित करते हैं। छोटी-छोटी बचत को सामूहिक कोष में संगठित करने से महिलाओं को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के कारण वित्तीय संस्थाओं के प्रति महिलाओं का विश्वास भी बढ़ सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तथा आजीविका के अवसरों से जोड़ने को प्रमुख रणनीति बनाया है।

2. आय एवं रोजगार में वृद्धि

कमार महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन, बाँस शिल्प, लघु उद्यम, वनोपज आधारित गतिविधियाँ, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य घरेलू उद्योग संभावित आजीविका क्षेत्र हैं। गरियाबंद क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बाँस शिल्प, सहकारी खेती, लघु वनोपज विनिमय, दुकान संचालन तथा अन्य आय-सृजन गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के उदाहरण मिलते हैं।

इस प्रकार समूह महिलाओं को व्यक्तिगत श्रम से सामूहिक उद्यम की दिशा में ले जा सकते हैं। सामूहिक उत्पादन से लागत कम करने, उत्पाद की मात्रा बढ़ाने और बाजार में सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता विकसित करने की संभावना रहती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, July 2026 Impact Factor: 8.2

3. सामाजिक सशक्तीकरण

स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक संस्था नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सहभागिता का मंच भी हैं। नियमित बैठकों में भाग लेने से महिलाओं में संवाद क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व तथा सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों पर किए गए एक अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के समग्र सशक्तीकरण में सुधार पाया गया तथा नेतृत्व एवं आय से संबंधित आयामों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई (साहू एवं घोष, 2018)।

4. घरेलू निर्णय-निर्माण

आय अर्जित करने वाली महिला का परिवार में आर्थिक योगदान बढ़ने पर उसके घरेलू निर्णयों में सहभागिता बढ़ने की संभावना रहती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण, बचत तथा व्यवसाय संबंधी निर्णय लेने का अनुभव महिलाओं को परिवार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

5. सरकारी योजनाओं तक पहुँच

कई ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया तथा बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी सीमित होती है। समूह सामूहिक रूप से जानकारी साझा करने और सरकारी संस्थाओं से संपर्क करने का माध्यम बन सकते हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, बैंकिंग, कौशल-विकास और उद्यमिता संबंधी योजनाओं तक पहुँच बढ़ सकती है।

6. लघु वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

कमार समुदाय की आजीविका में वन संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं द्वारा लघु वनोपज का सामूहिक संग्रह, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं की लघु वनोपज प्रबंधन में भागीदारी को महिला सशक्तीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन से जोड़ा गया है।

7. कमार महिलाओं के जीवन-स्तर में संभावित परिवर्तन

जीवन-स्तर का मूल्यांकन केवल आय में वृद्धि से नहीं किया जा सकता। इसमें आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, ऊर्जा, वित्तीय सुरक्षा तथा सामाजिक सम्मान जैसे अनेक घटक सम्मिलित होते हैं। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता के माध्यम से यदि महिला की आय एवं बचत बढ़ती है तो परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय करने की क्षमता भी बढ़ सकती है।

इसी प्रकार आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के सामाजिक सम्मान में वृद्धि कर सकती है। समूह बैठकों में सहभागिता से सार्वजनिक संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ने पर महिलाओं में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता विकसित हो सकती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह जीवन-स्तर में प्रत्यक्ष आर्थिक तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक परिवर्तन दोनों उत्पन्न कर सकते हैं।

8. गरियाबंद के संदर्भ में अनुभवजन्य साक्ष्य

गरियाबंद जिले के आदिवासी महिलाओं पर उपलब्ध अध्ययन यह दर्शाता है कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी उच्च है, जबकि कम मजदूरी, सीमित जागरूकता, शिक्षा की कमी तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। दूसरी ओर, कमार समुदाय के हस्तशिल्प संबंधी हालिया अध्ययन में पारंपरिक हस्तशिल्प को आर्थिक अवसर के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु बाजार, संसाधन, कौशल तथा संस्थागत सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इन दोनों निष्कर्षों को स्वयं सहायता समूहों की भूमिका से जोड़ने पर यह स्पष्ट होता है कि समूह कमार महिलाओं के पारंपरिक कौशल को सामूहिक उद्यम, बाजार संपर्क और आय-सृजन से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयोगी हैं, फिर भी कमार महिलाओं के संदर्भ में अनेक बाधाएँ बनी रह सकती हैं—

1. कम साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता।
2. बैंकिंग सेवाओं तक भौगोलिक पहुँच की समस्या।
3. बाजार और परिवहन सुविधाओं की कमी।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

4. उत्पादों के लिए उचित मूल्य न मिलना।
5. तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता।
6. पारंपरिक आजीविका पर अत्यधिक निर्भरता।
7. समूहों में नियमित बैठक एवं बचत की समस्या।
8. ऋण का उत्पादक गतिविधियों के बजाय उपभोग में उपयोग।
9. डिजिटल तकनीक एवं ऑनलाइन बाजार की सीमित जानकारी।
10. प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता तथा मौसमी आय में उतार-चढ़ाव।

VIII. निष्कर्ष

गरियाबंद जिले की कमार जनजाति की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए स्वयं सहायता समूह एक प्रभावी सामुदायिक संस्था के रूप में उभर सकते हैं। इन समूहों के माध्यम से बचत, ऋण, बैंकिंग, सामूहिक उद्यम, कौशल-विकास, बाजार संपर्क और सामाजिक सहभागिता के अवसर बढ़ते हैं। उपलब्ध साहित्य से भी यह संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व, आय और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कमार महिलाओं के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक है क्योंकि उनकी पारंपरिक आजीविका कृषि, वनोपज और हस्तशिल्प से जुड़ी है। यदि स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय संसाधनों, बाँस शिल्प, लघु वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन तथा अन्य गैर-कृषि गतिविधियों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए तो महिलाओं की आय और आर्थिक सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है। गरियाबंद में कमार समुदाय के लिए संस्थागत विकास व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए स्वयं सहायता समूहों को इन संस्थाओं के साथ समन्वित करना अधिक प्रभावी परिणाम दे सकता है।

अतः स्वयं सहायता समूहों को केवल बचत एवं ऋण संस्था के रूप में न देखकर महिला नेतृत्व, उद्यमिता, बाजार संपर्क, कौशल विकास और सामाजिक परिवर्तन के समेकित मंच के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इससे कमार महिलाओं के जीवन-स्तर में दीर्घकालीन सुधार तथा सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2021)। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: कृषि आजीविका हस्तक्षेप पुस्तिका। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
2. भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। जनगणना 2011: छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिक जनगणना सारणी। नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। जनगणना 2011: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की आयु एवं लिंग संरचना। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। जनगणना 2011: छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं एवं विवाहित महिलाओं से संबंधित आँकड़े। नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। जनगणना 2011: छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक संस्थानों में सहभागिता। नई दिल्ली: भारत सरकार।
6. गरियाबंद जिला प्रशासन। (2026)। आदिवासी विकास: कमार एवं भुंजिया विकास अभिकरण। छत्तीसगढ़ शासन।
7. गरियाबंद जिला प्रशासन। (2026)। गरियाबंद जिले का आदिवासी विकास विभाग। छत्तीसगढ़ शासन।
8. ध्रुव, बी., कौशल, आर., भगत, आर., एवं अत्री, एन. (2020)। गरियाबंद जिले, छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं की सहभागिता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च – ग्रंथालय, 8(9), 334–344.
9. साहू, बी. एल., एवं घोष, एस. (2018)। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण गरीबों के सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, 16(2), 51–65.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

10. सिंह, एस., श्रीधर, आर., एवं शर्मा, एम. एस. (2024)। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं लघु वनोपज के सतत प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। द बायोसकैन, 19(2), 434–439.
11. वर्मा, कृति, सोनवानी, टी. एस., एवं गजपाल, एल. एस. (2025)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में कमार जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका। जनजातीय भूगोल, 68–77.
12. ड्यूब, एस. सी. (2004)। द कमार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़। (2020)। कमार: एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। नवा रायपुर: आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।
14. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2021)। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ। नई दिल्ली: जनजातीय कार्य मंत्रालय।
15. नाबार्ड। (2024)। भारत में स्वयं सहायता समूह – बैंक संबद्धता कार्यक्रम: स्थिति एवं प्रगति। मुंबई: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
16. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2023)। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: वार्षिक प्रगति रिपोर्ट। नई दिल्ली: भारत सरकार।
17. भारत सरकार, नीति आयोग। (2023)। भारत में महिला सशक्तीकरण एवं ग्रामीण आजीविका से संबंधित नीति दस्तावेज। नई दिल्ली: नीति आयोग।
18. छत्तीसगढ़ शासन। (2024)। छत्तीसगढ़ सांख्यिकी एवं जिला-स्तरीय सामाजिक-आर्थिक संकेतक। रायपुर: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
19. छत्तीसगढ़ शासन, आदिवासी विकास विभाग। (2024)। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रम। रायपुर: आदिवासी विकास विभाग।
20. प्रेरक। (2026)। ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन तथा स्वयं सहायता समूह गतिविधियाँ। गरियाबंद, छत्तीसगढ़।